न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 26/2018
प्रविष्टि दिनांक 14-2-2018

विनोद पुत्र श्योजी जाट निवासी श्रीपुरा ढाणी गोठड़ा तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
-अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार उप तहसील बनेठा जिला- टोंक
-रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 7-12-2017 पत्रावली सं० 1735/2017

उपस्थिति :- (1) श्री पवन कुमार जैन अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 15-3-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 7-12-2017 के द्वारा अपीलान्ट को चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1154 रकबा 0.05 है० वाके ग्राम गोठड़ा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 1000/रूपये की पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण मे अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है और नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने मे गलती की है। अपीलाण्ट ने उक्त भूमि पर कोई नया निर्माण न[illegible] पूर्वजों के समय से ही मौके पर मकान बना हुआ है। अपीलान्ट इस [illegible] हुए मकान मे अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा है [illegible] के अलावा आवास करने हेतु अन्य कोई परिसार भी नहीं है। मौके पर उक्त भूमि चरागाह के रूप में [illegible] मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:16:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

नहीं आ रही है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाएँ कमशः बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजाये एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 1154 कुल रकबा 10.73 है0 ग्राम गोठडा की आबादी भूमि से बिल्कुल नजदीक जिसमें से 0.24 है0 भूमि में गाँव के कई लोगों के मकानात व बाडे बने हुए हैं। यह भूमि आबादी के उपयोग में कई वर्षो से चली आ रही है। जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत गोठड़ा द्वारा आम सभा दिनाक 20–11–2014 को आयोजित की गई थी ओर उस समय ग्राम सभा में सर्वसम्मति से आबादी भूमि की कमी होने के कारण उक्त आराजी खसरा नम्बरा 1154 में से 0.24 है0 भूमि को आबादी विस्तार किये जाने का प्रस्ताव सं0 23 ग्राम सभा में लिया जाकर तहसीलदार उनियारा को दिनांक 20–12–2014 को प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। ग्राम पंचायत ने भी आबादी विस्तार हेतु अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश कर रखा है। निर्णय प्रार्थी की अदम मोजूदगी में पारित किया गया है निर्णय के बारे में अपीलान्ट को जब मालुम हुआ कि दिनांक 30–1–2018 को पुलिस कर्मी अपीलान्ट के घर पर आये तब परिजनों द्वारा बताये जाने पर अपीलान्ट ने निर्णय की नकलें लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 31–1–2018 को तहसील कार्यालय में पेश किया जिसकी नकल दिनांक 1–2–2018 को प्राप्त कर यह अपील बिना किसी विलम्ब के पेश की जा रही है। अपील पेश करने में फिर भी यदि देरी मानी जावे तो उसे कन्डोन करने के लिए अलग से धारा–5 लि0 एक्ट प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 30–11–2017 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1154 रकबा 10.73 है0 में से 0.05 है0 वाके ग्राम गोठड़ा तह0 उनियारा पुख्ता मकान बनाकर अतिकमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिकमण किया था ओर अब पुनः अतिकमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया था किन्तु अपीलान्ट बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की चरागाह भूमि पर बार–बार अतिकमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर तलब किया गया है किन्तु नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील नहीं हुई है। नोटिस पर वजीर लक्ष्मीनारायण अंकित है। जिससे यह साबित नहीं है कि अपीलान्ट की तामील विधिवत करवाई गई [illegible] अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। नायब तहसीलदार उनियारा ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:16:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 7-12-2017 अपास्त किया जाकर नायब तहसीलदार बनेठा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर समस्त रिकार्ड/कब्जे की जांच कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 15-3-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:16:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner